संख्या 18 /2015/ 1098/ सत्रह-म 2015 6-9(43)/2015

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक जुलाई 2015

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत नवीन योजना के रूप में सम्मिलित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण के लिए जारी वित्तीय स्वीकृति हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 304/ नि0शा0/ दिनांक 06-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 16/2015/845/ सत्रह-म-2015 6-9(43)/2015 दिनांक 11-06-2015 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 26-06-2015 द्वारा 34 जनपदों के लिए रू0 4387 हजार की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निर्गत की गयी थी। उक्त सूची के क्रमांक-6 14 24 26 29 31 33 एवं 34 पर अंकित जनपदों के लिए पूर्व में स्वीकृति धनराशि को संशोधित करते हुए निम्नलिखित जनपदों के लिए संशोधित धनराशि निर्गत की जाती है-

क्र0 / जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृति धनराशि	संशोधित धनराशि
06 इलाहाबाद	292466	292467
14 संतकबीरनगर	110488	110487
24 शाहजहॉपुर	110488	110487
26 बागपत	64992	64993
29 हरदोई	110487	110486

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

31 वाराणसी	97488	97489
33 मिर्जापुर	272968	272969
34 संतरविदासनगर	305468	305467

2 शासनादेश संख्या – 16/2015/845/ सत्रह-म-2015 6-9(43)/2015 दिनांक 11-06-2015 में लगायी गयी शर्तें यथावत रहेंगीं ।

भवदीय

चन्द्रकान्त पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या 18 /2015/ 1098/ सत्रह-म 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- वित्त –(व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय- व्ययक) अनु0-1/ नियोजन अनु0-3
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।